

[2023] 1 एस सी आर 1111 ए

मेसर्स शेखर रिसॉर्ट्स लिमिटेड (यूनिट ऑफ ओरिएंट टीएजे)

बनाम

भारत संघ

(2022 की सिविल अपील संख्या 8957)

05 जनवरी, 2023

[न्यायमूर्तिगण एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:2019 योजना के तहत निपटान राशि का जमा, अधिस्थगन के दौरान-आई. बी. सी. के तहत प्रतिबंध को देखते हुए जब असंभव हो-अपीलार्थी - कॉर्पोरेट देनदार, अगर बिना किसी गलती के पीड़ित किया जा सकता है और बिना किसी नुकसान के भुगतान किया जा सकता है-तथ्यों पर, अपीलार्थी के वित्तीय लेनदार द्वारा आवेदन। 7 - अपीलार्थी के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया-अपीलार्थी अधिस्थगन के अधीन-इसके बाद, समाधान योजना को मंजूरी दी गई और अपीलार्थी ने "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019" के लिए आवेदन किया-अपीलार्थी आई. बी. सी. के तहत लगाए गए अधिस्थगन के कारण अंतिम दिन कर बकाया के रूप में 500/- रुपये का भुगतान नहीं कर सका-अपीलार्थी ने समय बढ़ाने की मांग की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया-अपीलार्थी द्वारा लिखित याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि वह योजना, 2019 के तहत देय और देय राशि को स्वीकार करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश जारी नहीं कर सकता है; और यह कि योजना के तहत नामित समिति मौजूद नहीं है-अपील पर कहा गया:आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत, अधिस्थगन की अवधि के दौरान कोई भुगतान नहीं किया जा सकता था-इस प्रकार, अपीलार्थी को कोई भी भुगतान करने से सांविधिक रूप से प्रतिबंधित/वर्जित किया गया था-अपीलार्थी के लिए अधिस्थगन की अवधि के दौरान कोई भी भुगतान करना असंभव था-इसे देखते हुए, अपीलार्थी को कुछ ऐसा नहीं करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो उसके लिए करना असंभव था-अधिस्थगन के दौरान कोई भी भुगतान करने के लिए अपीलार्थी के रास्ते में कानूनी बाधा थी-अपीलार्थी अन्यथा योजना के तहत लाभ का हकदार था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को कोई राहत देने से इनकार करने में गलती की, और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त कर दिया गया और रद्द कर दिया गया-सबका विश्वास (लेग)

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** न्यायालय की ओर से कुछ ऐसा करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा जो असंभव है और यदि व्यक्ति को कुछ ऐसा करने का निर्देश दिया गया है जो

असंभव है, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, अपीलार्थी को कुछ ऐसा नहीं करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो उसके लिए असंभव था। अधिस्थगन के दौरान कोई भी भुगतान करने के लिए अपीलार्थी के रास्ते में एक कानूनी बाधा थी। भले ही अपीलार्थी निर्धारित अवधि के भीतर निपटान राशि जमा करना चाहता था, लेकिन आई. बी. सी. के तहत प्रतिबंध को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि स्थगन के दौरान कोई भुगतान नहीं किया जा सकता था। मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी को बिना उपचार के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और उसे किसी कानूनी बाधा के कारण पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए जो इसका कारण था और/या निर्धारित समय के भीतर कार्य नहीं कर रहा था। [पैरा **7,3,8**] [1120-एच; 1121-ए-सी] **1.2** जहां तक संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय से की गई टिप्पणियों के संबंध में कि उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना, **2019** के तहत अवधि को कुछ हद तक नहीं बढ़ा सकता है, उच्च न्यायालय सही है। उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना का विस्तार नहीं कर सकता है। हालाँकि, तत्काल मामले में यह उच्च न्यायालय द्वारा योजना के विस्तार का मामला नहीं है। यह उपचारात्मक उपाय करने का मामला है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलार्थी ने योजना के तहत निर्धारित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया हो। यह ऐसा मामला नहीं है जहां निपटान राशि का निर्धारण करने वाला प्रपत्र संख्या **3** योजना की वैधता के दौरान जारी नहीं किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी ने जानबूझकर निपटान राशि जमा नहीं की हो और/या निर्धारित समय के भीतर निपटान राशि जमा नहीं करने में अपीलार्थी की ओर से कोई लापरवाही हुई हो। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी आई. बी. सी. के प्रावधानों को देखते हुए कानूनी बाधा और अधिस्थगन की अवधि के दौरान भुगतान करने पर रोक के कारण भुगतान करने में असमर्थ था। ऐसे असाधारण मामले हो सकते हैं जिन पर प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अदालतें न्याय करने के लिए होती हैं और किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं जो उसके लिए करना असंभव था। [पैरा **8.1**] [1121-डी-एफ; 1122-ए]

1.3. जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आधार का संबंध है कि नामित समितियाँ अस्तित्व में नहीं हैं, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सी. बी. सी. ई. ने एक परिपत्र ए. जारी किया है। कि ऐसे मामले में जहाँ उच्च न्यायालय/न्यायालयों ने **30.06.2020** के बाद योजना के तहत दावे की अस्वीकृति को दरकिनार करते हुए एक आदेश पारित किया है, आवेदनों को हाथ से संसाधित किया जा सकता है। कई मामलों में उच्च न्यायालयों ने मामले को नामित समितियों को भेज दिया है जिसमें विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं और उसके बाद आवेदनों को हाथ से संसाधित किया जाता है। [पैरा **8.2**]

1.4 चूँकि अपीलार्थी सुसंगत समय पर निपटान राशि जमा करने की स्थिति में नहीं था, विशेष रूप से कानूनी बाधा और आई. बी. सी. के तहत मुर्दाघर को देखते हुए निपटान राशि का भुगतान करने पर रोक के कारण, और जैसा कि यह पाया गया है कि अपीलार्थी अन्यथा योजना के तहत लाभ का हकदार था क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र संख्या **1** को

स्वीकार कर लिया गया है, निपटान राशि का निर्धारण करने वाला प्रपत्र संख्या **3** जारी कर दिया गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अनुरोध के अनुसार कोई राहत देने से इनकार करने में गलती की है।[पैरा **9**] **[1122-डी-ई]**

1.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अपास्त करना कर दिया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा पहले से जमा किए गए **500/-** रुपये का भुगतान "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, **2019**" के तहत बकाया भुगतान के लिए विनियोजित किया जाए और अपीलार्थी को निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया जाए।[पैरा **10**] **[1122-एफ]**

सुनील वासुदेव बनाम सुंदर गुप्ता **(2019) 17 एससीसी 385:[2019] 8 एस. सी. आर. 1190;** कलकत्ता आयरन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त **(1997) 8 एस. सी. सी. 42;** ज्ञानीचंद बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश (2016) 15 एस. सी. सी. 164-पर निर्भर था।

संदर्भित निर्णय

[2019] 8 एससीआर 1190	पर भरोसा किया गया	पैरा 7.1
(1997) 8 एस. सी. सी 42	पर भरोसा किया गया	पैरा 7.2
(2016) 15 एससीसी 164	पर भरोसा किया गया	पैरा 7.3

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील No.8957।

2021 के रिट टैक्स No.328 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.06.2021 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री मौनिका कस्तूरी, प्रणव मुंद्रा, करण सचदेव, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

बी.

विक्रमजीत बनर्जी, एसजी, M.K.Maroria, सुश्री निरंजना सिंह, नचिकेता जोशी, राजन कुमार चौरसिया, मोहम्मद अखिल, पी. वी. योगेश्वरन, सिद्धार्थ सिन्हा, शिवम सिंघानिया, रमन यादव, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह द्वारा दिया गया था

1. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2021 के लिखित कर (आई. डी. 1) में पारित किए गए विवादित फैसले और दिनांक (आई. डी. 2) के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए,

जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019" (इसके बाद "2019 की योजना" के रूप में संदर्भित) योजना के तहत याची के मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई है, मूल रिट याची ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: कि सेवा कर विभाग में पंजीकृत अपीलार्थी -कंपनी आतिथ्य सेवाएँ प्रदान करने में लगी एक कंपनी थी। सेवा कर विभाग ने अपीलार्थी द्वारा सेवा कर की चोरी की जांच की और होटल, सराय, गेस्ट हाउस, रेस्तरां सेवाओं, मंडप कीपर सेवाओं आदि में आवास जैसी विभिन्न श्रेणियों के तहत सेवा कर के भुगतान की मांग करते हुए कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए।

2.1 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद "आईबीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।

एप्पेल एल एंटी-कंपनी। एन. सी. एल. टी., दिल्ली ने ए. दिनांकित आदेश के माध्यम से 11.09.2018 अपीलार्थी के वित्तीय लेनदारों द्वारा आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, 11.09.2018 पर और उससे अपीलार्थी के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू हुई और अपीलार्थी को 11.09.2018 पर और उससे आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत स्थगन के अधीन किया गया। आई. बी. सी. के प्रावधानों के अनुसार गठित लेनदारों की समिति ने अपनी 15 वीं बैठक में एन. सी. जे. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 04.06.2019 पर प्रस्तुत समाधान योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इसके बाद "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019" का लाभ उठाने के लिए वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 125 के तहत 2019 की योजना को 01.09.2019 पर पेश किया गया। अपीलार्थी ने अपने समाधान पेशेवर के माध्यम से कार्य करते हुए योजना 2019 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक-कंपनी को 27.12.2019 पर प्रपत्र संख्या 1 जारी किया गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि योजना 2019 के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.12.2019 थी। इस प्रकार, प्रपत्र संख्या 1 निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया गया था और योजना, 2019 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा कर बकाया की गणना की गई थी। अपीलार्थी ऐसा प्रतीत होता है कि कर बकाया के भुगतान के लिए उक्त विवरण के अनुसार, अपीलार्थी को रु. 1,24,28,500/- का भुगतान करना आवश्यक था। योजना के तहत अपीलार्थी/निर्धारित को 30 दिनों की समयावधि के भीतर प्रपत्र संख्या 3 के अनुसार भुगतान करना आवश्यक था। हालाँकि, कोविड-19 महामारी को देखते हुए, सरकार द्वारा भुगतान करने का समय 30.06.2020 तक बढ़ा दिया गया था।

2.2 कि एन. सी. एल. टी. ने सफल समाधान आवेदक-एन. सी. जे. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की समाधान योजना को दिनांक 24.07.2020 के आदेश द्वारा मंजूरी दी। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना की मंजूरी पर अधिस्थगन अवधि समाप्त हो गई, जिसमें 24.07.2020 पर दिवालिया कार्यवाही बंद हो गई। एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति के बाद, अपीलार्थी ने सफल समाधान आवेदक और आयुक्त, सी. जी. एस. टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,

आगरा को पत्र लिखकर सूचित किया कि आई. बी. सी. के तहत समाधान प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अपीलार्थी तैयार है और फॉर्म संख्या 3 में नामित समिति द्वारा निर्धारित की गई 500/- रुपये की पूरी राशि बनाने के लिए तैयार है। सहायक आयुक्त को दिनांक 09.10.2020 के संचार के माध्यम से, अपीलार्थी ने समझाया कि कंपनी पर लगाए गए कानूनी अधिस्थगन के कारण योजना, 2019 के तहत निपटान राशि का भुगतान अपीलार्थी द्वारा 30.06.2020 से पहले नहीं किया जा सका और मांग की गई देय राशि का भुगतान करने की अनुमति। आगरा के संयुक्त आयुक्त ने 19.10.2020 दिनांकित पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया कि योजना के तहत भुगतान की अंतिम तिथि 30.06.2020 थी, जिसे बढ़ाया नहीं जा सका। नतीजतन, अपीलार्थी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। चूंकि अपीलार्थी अधिस्थगन हटाए जाने के बाद बकाया राशि के भुगतान के लिए अनुमति प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए अपीलार्थी ने 2021 के रिट टैक्स No.328 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि (i) उच्च न्यायालय योजना के विपरीत निर्देश जारी नहीं करेगा; (ii) मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि योजना के तहत नामित समिति मौजूद नहीं है।

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल रिट याचिका - अपीलार्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने और प्राधिकरण को योजना, 2019 के तहत देय और देय राशि को स्वीकार करने का निर्देश नहीं देने में गंभीर गलती की है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि नामित समिति मौजूद नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि योजना के तहत नामित समिति का गठन योजना, 2019 के नियम 5 के अनुसार किया गया था। नामित समिति में मामले में शामिल कर राशि के आधार पर प्रधान आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के उपायुक्त शामिल होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, नामित समिति में संयुक्त आयुक्त और आयुक्त शामिल हैं जो प्रत्यर्थी संख्या के कार्यालयों से जुड़े अधिकारी हैं। 3 और 4. कि नामित अधिकारी योजना के तहत कार्यवाही पूरी होने तक योजना के तहत नामित समिति के रूप में कार्य करते रहें। 3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि योजना के तहत नामित समिति का गठन देश भर की अदालतों के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यकता के आधार पर किया जा रहा है। कि कई मामलों में नामित समिति ने योजना, 2019 के तहत आवेदनों को गलत तरीके से खारिज कर दिया और विभिन्न अदालतों ने 30.06.2020 के बाद नामित समिति के फैसलों को अपास्त करना दिया और नामित समिति को योजना, 2019 के तहत संबंधित आवेदकों के मामले पर विचार करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अदालतों/उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुसार मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए, सी. बी. ई. सी. ने संबंधित नामित समितियों द्वारा योजना के तहत घोषणाओं के मैनुअल प्रसंस्करण की अनुमति देने के लिए दिनांकित 17.03.2021 निर्देश जारी किए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए 30.06.2020 के

बाद भी संबंधित नामित समितियों ने योजना के तहत अपने कार्यों को पूरा किया, हालांकि मैनुअल प्रोसेसिंग द्वारा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क कि नामित समितियाँ 30.06.2020 के बाद अस्तित्व में नहीं हैं और इसलिए अपीलार्थी किसी भी राहत का हकदार नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 30.06.2020 के बाद भी और यहां तक कि सीबीईसी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, संबंधित नामित समितियों ने घोषणाओं को मैनुअल रूप से कार्य करना और संसाधित करना जारी रखा।

3.3 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने उस कारण की उचित रूप से सराहना नहीं की है जिसके लिए अपीलार्थी योजना 2019 के तहत राशि 30.06.2020 पर या उससे पहले जमा नहीं कर सका। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रासंगिक समय पर और विशेष रूप से उस समय जब प्रपत्र संख्या 3 जारी किया गया था और यहां तक कि योजना 2019 के तहत अवधि के दौरान, अपीलार्थी को अधिस्थगन अवधि के आधार पर आई. बी. सी. के प्रावधानों की कठोरता के अधीन किया गया था जो 24.07.2020 पर समाप्त हुई जब एन. सी. एल. टी. ने समाधान योजना को मंजूरी दी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में, अपीलार्थी कानून के संचालन के कारण वास्तविक रूप से 30.06.2020 पर या उससे पहले देय निपटान जमा नहीं कर सका। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिस्थगन अवधि के दौरान आई. बी. सी. के प्रावधानों के अनुसार कोई भुगतान नहीं किया जा सकता था। यह तर्क दिया जाता है कि यदि मुर्दाघर अवधि के दौरान कोई भुगतान किया गया होता तो वह आई. बी. सी. के प्रावधानों का उल्लंघन होता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिवाला कार्यवाही के दौरान स्वीकार की गई समाधान योजना के अनुसार, समाधान आवेदक को प्रभावी तिथि से 6 महीने के भीतर सभी वैधानिक बकाया (सेवा कर बकाया सहित) एक एस्क्रो खाते में जमा करने की आवश्यकता थी। समाधान योजना के अनुसार, एस्क्रो खाते में भुगतान को संबंधित परिचालन लेनदारों को प्रभावी भुगतान के रूप में माना जाएगा। यह आगे तर्क दिया जाता है कि इस मामले में, प्रभावी तिथि 24.07.2020 है, जिस तारीख को NCLT द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी। इसलिए, अन्य वैधानिक बकाया के साथ सेवा कर बकाया छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले 08.01.2021 पर एक एस्क्रो खाते में जमा किया गया था। यह उपार्जित किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय ने & एनर्जी लिमिटेड, (2018) 18 एस. सी. सी. 786 ने माना है कि एक बार स्थगन लागू किया गया है, देनदार के खिलाफ कोई भी मौजूदा कार्यवाही निषिद्ध होगी। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. को किसी भी असंगत कानून पर प्राथमिकता दी जाएगी।

3.4 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में, कानून के संचालन के कारण किसी भी व्यक्ति को उपचार से वंचित नहीं छोड़ा जा सकता है। वर्तमान मामले में, कोविड-19 महामारी और एन. सी. एल. टी. के काम न करने के कारण आई. बी. सी. के तहत अधिस्थगन अवधि को 11.09.2018 से 24.07.2020 तक बढ़ा दिया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि अन्यथा भी, अपीलार्थी कानून के संचालन द्वारा मुर्दाघर अवधि के दौरान कोई भुगतान नहीं कर सकता था और भुगतान करने में असमर्थता आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत लगाए गए अधिस्थगन के कारण थी। यह आग्रह किया जाता है कि जब योजना 2019 के तहत आवेदन जमा

किया गया और समय के भीतर संसाधित किया गया तो अपीलार्थी को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है। उसकी उपरोक्त प्रस्तुतियों और अनुरोधित राहत के समर्थन में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा किया है

सुनील वासुदेव बनाम सुंदर गुप्ता, **(2019) 17 एस. सी. सी. 385 (पैरा 31)**, यूनाइटेड एयर ट्रैवल सर्विसेज बनाम भारत संघ, **(2018) 8 एस. सी. सी. 141 (पैरा 13)** और भारत संघ बनाम आशीष अग्रवाल, **(2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 543 (पैरा 23)**।

3.5 यह दोहराया जाता है कि अपीलार्थी कानूनी अक्षमता के कारण भुगतान नहीं कर सका और किसी से भी असंभव काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है

ज्ञानचंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, **(2016) 15 एस. सी. सी. 164 (पैरा 11)** और कलकत्ता लौह व्यापारी संघ बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त, **(1997) 8 एस. सी. सी. 42 (पैरा 5)**।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को पूर्वाग्रहित नहीं किया जा सकता है और/या अपीलार्थी की बिना किसी गलती के पीड़ित नहीं किया जा सकता है अनमोल कुमार तिवारी और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय पर भरोसा रखा गया है

झारखंड राज्य ने **(2021) 5 एस. सी. सी. 424** में रिपोर्ट किया।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और उत्तरदाताओं को योजना 2019 के तहत निपटान बकाया के लिए 500/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और तदनुसार अपीलार्थी को निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

4. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी ने दृढ़ता से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई त्रुटि नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज करने और उत्तरदाताओं को योजना, 2019 के तहत निपटान बकाया के भुगतान को स्वीकार करने का निर्देश देने से इनकार करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह योजना 30.06.2020 तक वैध थी और योजना, 2019 के तहत निपटान राशि के भुगतान की अंतिम तिथि 30.06.2020 थी। इसके बाद योजना को बंद कर दिया गया और यहां तक कि नामित समितियों को भी भंग कर दिया गया और इसलिए जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय के पास योजना का विस्तार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि योजना को बढ़ाया जाता है तो यह कई जटिलताएं पैदा करेगा।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, स्वीकार किया जाता है कि 30.06.2020 से पहले योजना के तहत निपटान राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए, योजना, 2019 के तहत निपटान राशि का भुगतान करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए मूल याची की प्रार्थना को आयुक्त द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से हस्तक्षेप नहीं किया गया है। उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

6. शुरुआत में, यह नोट किया जाना आवश्यक है और यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी योजना, 2019 के तहत समझौते का लाभ पाने का हकदार है। योजना, 2019 को 01.09.2019 पर पेश किया गया था और योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.12.2019 थी और वास्तव में, अपीलार्थी ने आवेदन करने के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से पहले 27.12.2019 पर फॉर्म संख्या 1 में आवेदन जमा किया था। योजना के तहत, प्रपत्र संख्या 1 को संसाधित करने के बाद नामित समिति को इसकी जांच करनी थी और निपटान राशि का निर्धारण करने के लिए अंतिम प्रपत्र संख्या 3 जारी करना था, जिसे आवेदक को अंतिम निर्धारण की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करना था-प्रपत्र संख्या 3। कि अपीलार्थी को 25.02.2020 पर प्रपत्र संख्या 3 जारी किया गया था और 25.03.2020 पर या उससे पहले निपटान बकाया का भुगतान करना आवश्यक था। हालाँकि, कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार ने समय को 30.06.2020 तक बढ़ा दिया। इसलिए, अपीलार्थी को 30.06.2020 पर या उससे पहले निपटान बकाया जमा करना आवश्यक था। हालाँकि, योजना, 2019 के लागू होने से पहले ही, अपीलार्थी को आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के अधीन किया गया था।

जो 11.09.2018 पर शुरू हुआ जब NCLT ने IBC की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार किया। इस प्रकार, आई. बी. सी. के तहत स्थगन 11.09.2018 पर शुरू हुआ। सी. ओ. सी. ने 04.06.2019 पर समाधान योजना को मंजूरी दी, और इसे एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांकित 24.07.2020 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया। इसलिए, आई. बी. सी. के तहत रोक 24.07.2020 तक जारी रही। आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत अधिस्थगन की अवधि के दौरान कोई भुगतान नहीं किया जा सकता था। इसलिए, अपीलार्थी को कोई भी भुगतान करने से वैधानिक रूप से प्रतिबंधित/वर्जित किया गया था। अधिस्थगन के दौरान भुगतान करने में अपीलार्थी की ओर से वैधानिक अक्षमता थी। यदि अपीलार्थी ने अधिस्थगन की अवधि के दौरान कोई भुगतान किया होता, तो अपीलार्थी आई. बी. सी. के प्रावधानों का उल्लंघन करता। इसलिए, अपीलार्थी के लिए अधिस्थगन की अवधि के दौरान कोई भुगतान करना असंभव था। अधिस्थगन समाप्त होने के तुरंत बाद, अपीलार्थी -समाधान पेशेवर/सफल समाधान आवेदक ने प्राधिकरण से संपर्क किया और उनसे फॉर्म संख्या 3 के अनुसार योजना, 2019 के तहत निपटान राशि स्वीकार करने का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृति की पुष्टि किए जाने पर आयुक्त द्वारा इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।

7. इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या, जब अपीलार्थी के लिए बार और/या आई. बी. सी. के तहत प्रतिबंधों को देखते हुए निपटान राशि जमा करना असंभव था, तो अपीलार्थी को बिना किसी गलती के दंडित किया जा सकता है? किसी दिए गए मामले में अपीलार्थी को बिना किसी गलती के पीड़ित किया जा सकता है, और उसे उपचार से वंचित किया जा सकता है और लाभ/राहत से वंचित किया जा सकता है, हालांकि अपीलार्थी के लिए कुछ कार्यों को करना असंभव था, अर्थात् स्थगन के दौरान निपटान राशि जमा करना।

7.1 कानून की तय स्थिति के अनुसार, किसी भी पक्ष को उपचार से वंचित नहीं छोड़ा जाएगा और पक्षकारों ने न्यायालय के समक्ष जो भी शिकायत उठाई थी, उसकी योग्यता के आधार पर जांच की जानी चाहिए [सुनील वासुदेव (उपरोक्त) (पैरा 31)]।

7.2 जैसा कि कलकत्ता आयरन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है, कोई भी कानून किसी व्यक्ति को असंभव को करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। [कलकत्ता आयरन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन (ऊपर) (पैरा 5)]

7.3 ज्ञानीचंद (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि न्यायालय की ओर से कुछ ऐसा करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा जो असंभव है और यदि किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा करें जो असंभव है, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

8. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, अपीलार्थी को कुछ ऐसा नहीं करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो उसके लिए करना असंभव था। अधिस्थगन के दौरान कोई भी भुगतान करने के लिए अपीलार्थी के रास्ते में एक कानूनी बाधा थी। भले ही अपीलार्थी निर्धारित अवधि के भीतर निपटान राशि जमा करना चाहता था, लेकिन आई. बी. सी. के तहत प्रतिबंध को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि स्थगन के दौरान कोई भुगतान नहीं किया जा सकता था। मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी को बिना उपचार के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और उसे किसी कानूनी बाधा के कारण पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए जो इसका कारण था और/या निर्धारित समय के भीतर कार्य नहीं कर रहा था।

8.1 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय की टिप्पणियाँ की गई हैं कि उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना, 2019 के तहत अवधि को कुछ हद तक नहीं बढ़ा सकता है, उच्च न्यायालय कुछ हद तक सही है। उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना का विस्तार नहीं कर सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में यह उच्च न्यायालय द्वारा योजना के विस्तार का मामला नहीं है; यह उपचारात्मक उपाय करने का मामला है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अपीलार्थी ने योजना के तहत निर्धारित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया हो। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ निपटान राशि का निर्धारण करने वाला प्रपत्र संख्या 3 योजना की वैधता के दौरान जारी नहीं किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी ने जानबूझकर निपटान राशि जमा नहीं की हो

और/या निर्धारित समय के भीतर निपटान राशि जमा नहीं करने में अपीलार्थी की ओर से कोई लापरवाही हुई हो।जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी आई. बी. सी. के प्रावधानों को देखते हुए कानूनी बाधा और अधिस्थगन की अवधि के दौरान भुगतान करने पर रोक के कारण भुगतान करने में असमर्थ था। किसी मामले में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसने योजना के तहत आवेदन किया है और जिसे 30.06.2020 पर या उससे पहले भुगतान करना था, वह 29.06.2020 पर गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसके मामलों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और इसलिए वह राशि जमा नहीं कर सका; ऐसी असमर्थता उसके नियंत्रण से बाहर थी और उसके बाद, बीमारी से बाहर निकलने के तुरंत बाद उसने राशि जमा करने की कोशिश की और/या न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-क्या न्यायालय अपनी आंखें बंद कर सकती है और कह सकती है कि हालांकि भुगतान करने में उस व्यक्ति की असमर्थता के वैध कारण और/या कारण हो सकते हैं, फिर भी कोई राहत नहीं मिल सकती है।

उसे दिया?ऐसे असाधारण मामले हो सकते हैं जिन पर प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता होती है।अदालतें न्याय करने के लिए होती हैं और किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं जो उसके लिए करना असंभव था।

8.2 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दूसरे आधार, कि नामित समितियाँ अस्तित्व में नहीं हैं, का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सी. बी. सी. ई. ने एक परिपत्र जारी किया है कि एक ऐसे मामले में जहाँ उच्च न्यायालय/अदालतों ने 30.06.2020 के बाद योजना के तहत दावे की अस्वीकृति को दरकिनार करते हुए एक आदेश पारित किया है, आवेदनों को हाथ से संसाधित किया जा सकता है।कई मामलों में उच्च न्यायालयों ने मामले को नामित समितियों को भेज दिया है जिसमें विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं और उसके बाद आवेदनों को हाथ से संसाधित किया जाता है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और ऊपर बताई गई परिस्थितियों में और कारणों से, क्योंकि अपीलकर्ता सुसंगत समय पर निपटान राशि जमा करने की स्थिति में नहीं था, विशेष रूप से कानूनी बाधा और आई. बी. सी. के तहत मुर्दाघर को देखते हुए निपटान राशि का भुगतान करने पर रोक के कारण, और जैसा कि यह पाया गया है कि अपीलार्थी अन्यथा योजना के तहत लाभ का हकदार था क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फॉर्म संख्या 1 को स्वीकार कर लिया गया है, निपटान राशि का निर्धारण करने वाला फॉर्म संख्या 3 जारी कर दिया गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अनुरोध के अनुसार कोई राहत देने से इनकार करने में गलती की है।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अपास्त कर दिया जाता है।यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा पहले से जमा किए गए 500/- रुपये का भुगतान "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019" के तहत बकाया भुगतान के लिए विनियोजित किया जाए और अपीलार्थी को निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया जाए।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।

हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और शाश्वत जैन, एलसीआरए)